

राजस्थान सरकार
निदेशालय, महिला अधिकारिता
जे-7, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर

क्रमांक एफ 1(1)(91)/मअ/स्था/2015/ 83805
आदेश

जयपुर, दिनांक 17/04/2018

निदेशालय महिला अधिकारिता के अन्तर्गत आयोजना भिन्न, आयोजना मद में स्वीकृत अस्थाई पद/संविदा सेवाएं एवं मानदेय आधारित सेवाओं की अभिवृद्धि दिनांक 28.2.2019 तक किये जाने की स्वीकृति प्रदान कि जाती है।

मुख्यालय स्तर पर

(other than schemes)

क्र.सं	पद का नाम	पदों की संख्या
1	2	3
1	वाहन चालक (कोटा जिले में)	01
	कुल योग	01

(schemes)

क्र.सं	पदनाम	अस्थायी पदों की संख्या
1	2	3
1	कार्यक्रम निदेशक	03
	योग	03

जिला स्तर पर

(other than schemes)

क्र.सं	पदनाम	अस्थायी पदों की संख्या
1	2	3
1	सुपरवाइजर, मअ	277
2	प्रचेता	18
	योग	295

मानदेय आधारित सेवाएं

क्र.सं	सेवा का नाम	कुल सेवाएं	विशेष विवरण
1	साथिन	9894	schemes
2	सुरक्षा प्रहरी (REXCO से लिये जायेंगे)	04	other than schemes

उक्त आदेश वित्त विभाग की आईडी संख्या 161800473 दिनांक 06.04.2018 के अनुसरण में जारी किये जाते हैं।


(शुचि शमी)
आयुक्त


महिला अधिकारिता

जयपुर, दिनांक 17/04/2018

क्रमांक एफ 1(1)(91)/मअ/स्था/2015/ 83806-14

प्रतिलिपि- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. प्रधान महालेखाकार, (लेखा एवं हक) राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक वित्त (बजट) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-2) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर।
4. अतिरिक्त निजी सचिव, आयुक्त, महिला अधिकारिता, मुख्यालय।
5. वित्तीय सलाहकार, महिला अधिकारिता, मुख्यालय।
6. समस्त प्रभारी अधिकारी, निदेशालय महिला अधिकारिता।
7. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर (उपनिदेशक), मअ मुख्यालय को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
8. सहायक लेखाधिकारी ग्रेड द्वितीय, बजट महिला अधिकारिता, मुख्यालय।
9. आदेश पत्रावली।


अतिरिक्त निदेशक
महिला अधिकारिता